न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 29/2022 बउनवानी राजेन्द्र कुमार जैन बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास, निवासी 64/जी–2, शिवशक्ति नगर, मुहानामण्डी रोड़ मानसरोवर विस्तार जयपुर–302020 सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/58

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.3.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित।

अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 31.1.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

प्रार्थी ने प्रशासन शहरो की ओर अभियान के अन्तर्गत प्लाट संख्या 52 आदिनाथ नगर सवाईमाधोपुर का पटटा बनवाने हेतु पत्रावली लंबित है किन्तु पटटा जारी करने की कोई कार्यवाही नही करने के कारण निम्नांकित सूचनाऐ चाहिए।

1. आवेदक का रजिस्टर्ड स्मरण पत्र दिनांक 28.1.2022 की आपके कार्यालय में प्राप्ति रजिस्टर मे अंकित/पंजीबद्व पृष्ठ की प्रति उपलब्ध करावे एवं प्रार्थी के स्मरण पत्र पर अब तक की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजो की प्रतिया उपलब्ध करावे।
2. नगर विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प.3(50)नविवि/3/2012/पार्ट दिनांक 13.10.2014 के अनुसार दिनांक 6.2.2014 के पश्चात प्राप्त सभी आवेदनो का निस्तारण नगर विकास न्यास द्वारा किये जाने के आदेश जारी किये जाने पर नगर परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा नगर विकास न्यास,सवाईमाधोपुर को निम्नानुसार आवेदन/पत्रावलिया हस्तानान्तरित/ प्रेषित की गयी।
    1. पत्रांक दिनांक 2491 दिनांक 24.6.2014 से भूराजस्व अधि. की धारा 90 क की उपधारा (2)सपठित नियम,2012 के नियम,2 के अधीन नगर परिषद को प्राप्त आवेदन पत्र/पत्रावली
    2. पत्रांक 327 दिनांक 19.11.2014 द्वारा राशि जमा पटटा पत्रावली
    3. पत्रांक 327 दिनांक 19.11.2014 द्वारा राशि जमा 90 बी से संबंधित पत्रावली
    4. पत्रांक 1904 दिनांक 12.6.2017 भूमि रूपान्तरण पत्रावली
    5. पत्रांक 416 दिनांक 5.1.2015 से 90 बी/90ए की कार्यवाही पश्चात रूपान्तरण संबंधी कार्यवाही।

    उक्त सभी पत्रावलीयों पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही यथा पटटा जारी करना, भूमि रूपान्तरण, आपत्ति/कमी–पूर्ति संबंधी सूचना/सूची उपलब्ध करावें तथा कार्यवाही से संबंधित सुसंगत आदेश /नोट शीट की प्रति उपलब्ध करावे।
3. नगर परिषद सवाईमाधोपुर से आपके कार्यालय को हस्तानान्तरित पत्रावलियों मे आपके द्वारा प्रशासन शहरो की ओर अभियान,2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत रूपान्तरित एवं अरूपान्तरित भूखण्डो के पटटे हेतु प्राप्त आवेदन पत्रावली में आपके कार्यालय द्वारा जारी किये गये पटटे संबंधी सूचना [illegible] करावे तथा उन पेडिंग पत्रावलियों मे से प्रशासन शहरो की ओर अभियान,20[illegible] के अ[illegible]र्गत जारी किये गये पटटे/प्रकियाधीन पटटो से संबंधित सूचना/सूची उपलब्ध [illegible]।
4. नगर परिषद सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2491 दिनांक 24.6.2014 [illegible] राजस्व अधि0 की धारा 90 क की उपधारा (2) सपठित नियम,2012 के नि[illegible]के अधीन नगर परिषद को प्राप्त आवेदन पत्र/पत्रावली के साथ भूखण्ड संख्या 52 आदिनाथ नगर, सवाईमाधोपुर की पत्रावली प्रेषित की गयी थी आपके कार्यालय से प्राप्त होने के पश्चात आदिनांक तक उस पत्रावली पर की गयी कार्यवाही से संबंधित नोटशीट,आदेश की प्रतियॉ उपलब्ध करावे।
5. नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय का नाम व वर्तमान पता, कार्यालय मे

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:48 IST
Reason: SelfAttested

पदस्थापित संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों के नाम एव पते तथा मोबाईल नम्बर की सूचना उनको आवंटित कार्य/प्रभार सहित उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी प्रतिनिधि ने लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः प()नविन्या/भू.आ./2020/352 दिनांक 21.3.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.1.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना के संबंध में सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के पत्रांक 231 दिनांक 22.2.2022 से अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट को वांछित सूचना मे से कार्यालय मे उपलब्ध बिन्दु संख्या 5 की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

नगर विकास न्यास के प्रतिनिधि द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,.2005 के तहत दिनांक 31.1.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के पत्रांक 231 दिनांक 22.2.2022 से अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है तथा शेष बिन्दु संख्या 5 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना मे से कार्यालय मे उपलब्ध बिन्दु संख्या 5 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओ की सूचना के संबंध में अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:48 IST
Reason: SelfAttested